

फर्द अहकाम
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

पालसिंह



बनाम

अमनजोत

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 107

सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तारीख व जारी हुए
27.5.2022	<p>वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णाय क्षति का विन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान /अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 144 की कुल 0.4170हैक् खाता संख्या 138 की कुल 5.3130हैक् खाता संख्या 10/123 की कुल 2.7070हैक् भूमि सायल /गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है मे से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नही किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 25.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर </p> <p> 25/7/22 वकील सायल उपी शर्मा निवेदन किया की यह अपील प्रार्थनापत्र वकील सायल गैरसायलान के नाम में दर्ज है मे से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नही किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 25.07.2022 को पेश हो। </p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी नोहर </p>	